प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक-34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 22-29 अगस्त 2016 मूल्य पांच रूपए

IFS संजीव चतुर्वेदी के मामले में आये कैट के फैंसले से नड्डा की नीयत और निति सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल से भाजपा के राज्यसभा सांसद केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी नड्डा को आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमन्त्री के दावेदारों में गिना जा रहा है। बल्कि जबसे उनकी दावेदारी के संकेत उभरे हैं तभी से प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस दावेदारी के बाद उनकी कार्यशैली पर भी नजरें जाना शुरू हो गयी है। क्योंकि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ फतवा लेकर सत्ता में आयी है। मोदी ने दावा किया है कि न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा। लेकिन नड्डा मोदी के इस मानक पर खरे उतरते नजर नही आ रहे हैं। जब सांसद बने थे उस समय देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्ज में तैनात चीफ विजिलैन्स अफसर आई एफ एस संजीव चतुर्वेदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिये काफी सुर्खियों में थे। लेकिन नड्डा ने संजीव चतुर्वेदी को एम्ज से हटाने के लिये स्वास्थ्य मन्त्रालय को पत्र लिखे। लेकिन इसी दौरान केन्द्र में सरकार बदल गयी। डा. हर्षवर्धन स्वास्थ्य मन्त्री बने। उन्हे भी उसी तर्ज पर नड्डा ने पत्र लिखे। इसी बीच नड्डा ही स्वास्थ्य मन्त्री बन गये। बतौर स्वास्थ्य मन्त्री नड्डा एम्ज के अध्यक्ष भी हैं और इस नाते संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ कारवाई करना आसान हो गया।

एम्ज के निदेशक ने 17.1.16 को संजीव चतुर्वेदी को एक डिस्प्लेजर मैमोरण्डम जारी किया। जिसमें कहा गया कि

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi-29

No. F. 6-96/2012-Estt.I Dated: 17 JAN 16

MEMORANDUM

Sub: Non observance of Discipline by Sh. Sanjiv Chaturvedi, Deputy Secretary, AIIMS.

****

The Director places on record its displeasure with his insubordination, indiscipline and lack of work ethic during winter session of Parliament 2015.

A copy of the memo should be kept in the personal file of the officer for consideration for his APAR for the period 2015-16.

This issues with approval of the competent authority.

(LALIT ORAON)
ADMINISTRATIVE OFFICER (DO)

Sh. Sanjiv Chaturvedi

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, 61/35, Copernicus Marg,New Delhi

ORDER SHEET

COURT NO. : 5
17.08.2016
M.A./100/1893/2016
O.A./100/1342/2016

SANJIV CHATURVEDI
-V/S-
M/O HEALTH AND FAMILY WELFARE

ITEM NO:9
FOR APPLICANTS(S) Adv. :
FOR RESPONDENTS(S) Adv.:

Applicant in person

Shri Hanu Bhaskar for R-1 & 2 - UOI
Shri B.P. Gupta with Shri A.K. Singh for R-3
Shri R.K. Gupta for R-4 & 5

Notes of The Registry	Order of The Tribunal
	Heard the applicant in person and the learned counsel on behalf of the respondents.
	2. Learned counsel for respondents No.4 & 5 states that they need two weeks' time to file reply to the amended O.A.
	3. Learned counsel for the respondents No.1 & 2 - UOI also seeks two weeks' time to file their reply.
	4. Learned counsel for respondent No.3 states that they have not received copy of the amended O.A. as well as MA 1893/2016.
	5. Applicant is directed to serve a copy of the amended O.A. and MA to the counsel for respondent No.3. Time is allowed for filing reply to respondents- AIIMS and UOI.
	6. Admittedly, the orders dated 07.01.2016 and 30.03.2016 passed by the respondents to the applicant with copies to other concerned Ministries including Chief Secretary, Uttarakhand is without issuing a show cause notice to him. This being against the principles of natural justice. Both these orders are quashed.
	7. Through MA 1893/2016, the applicant has prayed that the Reporting Officer - the Deputy Director, AIIMS, Reviewing Officer - Director, AIIMS and Accepting Officer - President, AIIMS be restrained from writing his APAR. On this prayer, order has already been passed on 01.06.2016 that if the respondents No.6, 7 and 8 make any entry in the ACR for the year 2015-16, that shall be subject to the outcome of the O.A., and there is no need for reconsideration.
	8. The applicant, however, drew my attention to order dated 02.06.2016 of the Hon'ble High Court in CWP No.4426/2016, in which one Shri Asheem Srivastav had filed the writ petition and the Hon'ble High Court had directed that till further orders, the ACR of the petitioner for the year 2015-16 should not be written.
	9. We have gone through the order of the Hon'ble High Court dated 02.06.2016. The facts and circumstances seems to be different. Therefore, the order dated 01.06.2016 shall remain in operation."
	10. Post the O.A. on 13.09.2016.
	Order DASTI.

(P.K. BASU)
MEMBER (A)

कांट्रेक्ट पर हुई नियुक्तियां नही हो सकती नियमित

उच्च न्यायालय के फैंसले के बाद कॉलेज काडर के 80 लेक्चररों का नियमितिकरण लिया वापिस

शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2013 को दिये फैसले में कांट्रेक्ट के आधार पर की गयी नियुक्तियों को चोर दरवाजे से की गयी बैक डोर एंट्री करार देते हुए ऐसी नियुक्तियों के नियमितिकरण को अवैध करार दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने 69 पन्नों के आदेश में साफ कहा है कि सरकार द्वारा कांट्रेक्ट नियुक्तियों के 9-9-2008 और फिर 8-6-2009 को जारी की नियमितिकरण की पॉलिसी संविधान की धारा 14 और 16 के प्रावधानों की अनुपालना नही करती है। कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रोमोशन के लिये संविधान की धारा 309 के तहत नियम बने है। धारा 309 के तहत बने नियमो को सरकार की 9-9-2008 और 8-6-2009 को जारी पॉलिसी को ओवर रूल नही कर सकती है।

स्मरणीय है कि 9-9-2008 और 8-6-2009 को जारी कांट्रेक्ट पालिसी के आधार पर सरकार के हर विभाग में आज तक नियुक्तियां होती आ रही है। सरकार हर वर्ष ऐसी नियुक्तियों का नियमितिकरण भी घोषित करती रही है। कॉलेज काडर के प्रवक्ताओं ने नियमितिकरण के संद्धर्भ में 2009 में CWP 2336 याचिका दायर की थी। इसके बाद CWP 5047 जव 2010 और CWP 8709 of 2011 उच्च न्यायालय में आयी। उच्च न्यायालय ने इन सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके अप्रैल 2013 में इनका एक साथ निपटारा करते हुए कांट्रेक्ट आधार पर की गयी नियुक्तियों के नियमितिकरण को संविधान के प्रावधानों के विपरीत करार देते हुए अवैध करार दिया है।

प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला अप्रैल 2013 मे आ गया था। लेकिन इस फैसले के बाद भी कॉलेज काडर के कांट्रेक्ट पर रखे गये प्राध्यापकों के नियमितिकरण के आदेश जून 2014 में जारी कर दिये। इन आदेशों का जब चुनौती दी गयी तब अब 18 अगस्त को इस नियमितिकरण के आदेश को वापिस लेते हुए इन प्राध्यापकों को पुन: कांट्रेक्ट पर नियुक्त करार दिया है। शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उच्च न्यायालय का यह फैसला मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाया गया था? क्या मुख्यमन्त्री ने स्वयं इस फैसले को नजर अन्दाज करने का फैसला लिया? या फिर मुख्यमन्त्री को बताये बिना ही उच्च न्यायालय के फैसले को अगूंठा दिखा दिया गया? अब इस फैसले पर अमल करते हुए कॉलेज काडर के 80 प्रवक्ताओं पर गाज गिरा दी गयी है। लेकिन जिन अधिकारियों ने यह कारनामा कर दिखाया है क्या उनके खिलाफ भी कोई कारवाई हो पायेगी? कांट्रेक्ट पर नियुक्तियों का चलन आज भी जारी है जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक ऐसी नियुक्तियों का नियमितिकरण नही किया जा सकता है।

14. After hearing learned counsel for the parties and perusing the contents of the record, the private respondents before us in CWP No. 2336 of 2009 have not been able to prove that their appointments were made after observing the provisions of Articles of 14 and 16 of the Constitution. The regularization policy, dated 9.9.2008 (Annexure P-3), appears to have not been issued in consonance to the settled position of law by Supreme Court in **Umadevi's case** (supra). The policy dated 9.9.2008 and subsequent communication dated 8.6.2009 also appear to have been made by way of executive instructions, as such, the circulars dated 9.9.2008 and the communication letter dated 8.6.2009 cannot over-ride the rules framed under Article 309 of the Constitution. These circulars cannot be treated to be substitute of the rules for State Government for regularization and the circulars, mentioned above, as such, being in the teeth of the settled position of law by Hon'ble Supreme Court in Umadevi's case (supra), these are not legally sustainable for regularizing the private respondents. The respondent / State is expected to make appointments and regularize the services of private respondents in consonance to the Recruitment & Promotion Rules framed under Article 309 of the Constitution.

In view of the above observations, CWP No.2336 of 2009 is disposed of.

15. In view of the analysis, made herein-above, no mandamus or direction of any kind can be issued for regularization of the petitioner in CWP No.5047 of 2010 as well as writ petitioner in CWP No.8709 of 2011, as such, these writ petitions are dismissed.

राज्यपाल ने सराही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. तोमर ने आयोग की वर्ष 2014 – 15 की उपलब्धियों

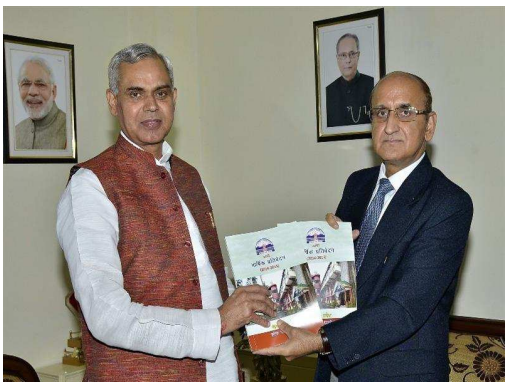

की वार्षिक रिपोर्ट भेंट की। उन्होंने आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।

राज्यपाल ने आयोग के एचएएस परीक्षा को आईएएस पद्धति के अनुरूप बदलने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया तथा कहा कि इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागियों को प्रशासनिक सेवाओं की प्रतिस्पर्धाओं में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने आयोग के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी तथा हिन्दी में साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि इससे प्रतिभागी लाभान्वित होंगे।

आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को बताया कि 90 प्रतिशत उम्मीदवार हिन्दी भाषा को चुन रहे हैं और भाषा के विकल्प से सभी उम्मीदवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभागियों को लाभ मिला है।

तोमर ने राज्यपाल को आयोग की अन्य उपलब्धियों बारे अवगत करवाते हुए कहा कि जनवरी 2017 से नई एचएएस पद्धति आरम्भ की जाएगी। मोबाइल ऐप जरूरतमंद उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए हेल्प लाईन, न्यायिक सेवाएं परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित करना तथा एचएएस परीक्षा में प्रशासनिक कारणों से एक वर्ष के अन्तर को समाप्त करना आयोग की उपलब्धियों में शामिल है।

तोमर ने राज्यपाल को नई पद्धति के तहत सूक्ष्म स्तरीय पाठयक्रम को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बारे में बताया तथा कहा कि यह हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा देश की अन्य विश्वविद्यालय के 20 से अधिक प्रोफेसरों की सहायता से संभव हो सका है।

अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा कॉलेज कैडर के सहायक प्राध्यापकों, सूचना प्रौद्योगिकी के स्कूल अध्यापकों, पीजीटी इत्यादि के भारी संख्या में पद सृजित किए हैं। जिनके परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और शीघ्र ही इनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

राज्यपाल ने राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधारणा की सराहना की, जिससे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तोमर द्वारा आरम्भ किया गया है, जो एक वार्षिक गतिविधि बन गया है।

तोमर ने राज्यपाल को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने उनके नवीन सिद्धांतों को अपनाया है। तोमर वर्तमान में भारत के राज्य के लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं।

राज्यपाल ने पौधरोपण अभियान में लिया भाग

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला जिले के मशोबरा में वन विभाग की नर्सरी के समीप धनैन

गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा के विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण किया।

राज्य रेडक्रॉस समिति द्वारा वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित 67वें वन महोत्सव के दूसरे चरण के आयोजन पर राज्यपाल ने कहा कि वह निजी तौर पर तथा राज्य रेडक्रॉस इस वर्ष लगभग 90 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल करने में वन विभाग का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य में पांच – पांच गांवों के समूह बनाकर वन विभाग की मदद से विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत जन्म दिवसों, शादी सालगिरह इत्यादि विशेष अवसरों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के लिए यह बेहतर समय है तथा हमें इस दौरान अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।

उन्होंने वन विभाग को इन पौधों का संरक्षण एवं जीवतंता सुनिनिश्चत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने क्षेत्रों के हरित आवरण में वृद्धि करने तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में अन्यों को भी जागरूक बनाने के लिए पौधरोपण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आहवान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया तथा प्राचीन वेदों में वर्णित वृक्षों एवं वनों के महत्व के बारे में जानकारी दी।

राज्य रेडक्रॉस कार्यकारिणी के सदस्य, वन विभाग के अधिकारी, स्कूली छात्र व छात्राएं तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।

शिमला, चंढीगढ़ व दिल्ली में आयोजित होगा ऐप्पल फेस्टिवल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सेब व अन्य जैविक उत्पादों को राज्य के बाहर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पहली बार शिमला के अतिरिक्त दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 'ऐप्पल फेस्टिवल' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

ऐप्पल फेस्टिवल के संदर्भ में मुख्य सचिव वी.सी.फारका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह में शिमला जबकि नई दिल्ली व चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में क्रमश: अक्तूबर माह दूसरे व तीसरे सप्ताह में ऐप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।

फारका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के फल राज्य के रूप में उभरा है और इस उत्सव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उत्पादित हो रही सेब की विभिन्न किस्मों व गुणवत्ता के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, सेब की विशेष किस्में और राज्य में उगाए जा रहे जैविक उत्पादों जैसे राजमाह, माश, काला जीरा, लाल चावल आदि को भी उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन से बागवानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल ही लगभग 4 करोड़ रुपये मजबूत सेब आर्थिकी है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों से फल उत्पादन क्षेत्र में कई गुणा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन से हिमाचल प्रदेश के 1.7 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं और राज्य में 49 प्रतिशत क्षेत्र फल उत्पादन के अधीन है जिसमें से 85 प्रतिशत में केवल सेब का उत्पादन किया जा रहा है। सेब उत्पादन से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि शिमला में आयोजित होने वाले सेब उत्सव के दौरान फल उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा।

इस उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा एचपीएमसी, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम, बागवानी तथा कृषि विभाग के सहयोग से किया जाएगा।

पर्यटन विभाग के आयुक्त मोहन चौहान, हि. प्र. पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा, एचपीएमसी के प्रबन्ध निदेशक जे.सी. शर्मा, निदेशक बागवानी डी.पी. भंगालिया, भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक शशि शर्मा व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

अपनी समृद्ध संस्कृति व मूल्यों को जीवन में अपनाएं: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मानवता के पूर्ण विकास के लिए पुरातन को सहेज कर नवीन को अपनाना होगा ताकि भावी पीढ़ी अपनी समृद्ध संस्कृति एवं मूल्यों के साथ जुड़े रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।

राज्यपाल सोलन में राज्य स्तरीय दो दिवसीय संस्कृत शिक्षक विमर्श सम्मेलन के स्थापना समारोह के अवसर पर उपस्थित संस्कृत विद्वानों को सम्बोधित कर रहे थे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति, साहित्य और वांगमय की पूर्ण जानकारी संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राप्त हुई है। संस्कृत भारतीय संस्कृति का सार है और विश्व को सकारात्मक चिंतन संस्कृत भाषा की ही देन है। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से आग्रह किया कि वे देव भाषा संस्कृत को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए योजना बनाकर कार्य करें।

राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है और व्याकरण की विभिन्न पद्धतियों ने यह सिद्ध किया है कि प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में संस्कृत श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व संस्कृत और संस्कृति को बड़े सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया ताकि भारतीय महाद्वीप को लम्बे समय तक पराधीन रखा जा सके। विदेशी शक्तियों को इसमें सफलता भी मिली। उस समय भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल गुरूकुलों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हमें प्राचीन शिक्षा पद्धति की पुर्नस्थापना करनी होगी ताकि विशिष्ट भारतीय संस्कृति को सहेजकर रखा जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे भारतीय जीवन पद्धति एवं संस्कृति को अपनाएं। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को संस्कृत भाषा को आम जन में प्रचलित करने का बीड़ा उठाना होगा।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने मनीषी मण्डल के अध्यक्ष डॉ. कुमार सिंह सिसोदिया तथा संस्कृत विद्यालय डोहगी, ऊना के प्राचार्य डॉ. वत्सलम को सम्मानित किया। उन्होंने डॉ. हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय दर्शन' का विमोचन भी किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न संस्कृत विद्वानों को भी पुरस्कृत किया।

हिमाचल संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. मस्तराम शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा दो दिवसीय सत्र की विस्तृत जानकारी प्रदान दी। संस्कृत महाविद्यालय सोलन के कार्यवाहक प्रधानाचार्य उत्तम चौहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संस्कृताचार्य प्रो. केशव शर्मा, प्रदेश भर से आए संस्कृत कॉलेजों के प्रधानाचार्य, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस वर्ष रोपे जाएंगे एक करोड़ पौधे:मुख्यमंत्री

हिमाचल कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला पहला राज्य केन्द्र से प्राप्त हुए 1.93 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला न्यायालय बार एसोसियेशन द्वारा जिला न्यायालय परिसर चक्कर में आयोजित पौधरोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिनार के पौधे रोपण किया।

वीरभद्र सिंह ने लोगों से प्रत्येक विशेष मौके पर कम से कम एक पौधे

को रोपने का आहवान किया। उन्होंने सभी पार्कों व सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण का सुझाव दिया ताकि हरित छत्र में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि इससे नमी रहेगी तथा भूजल स्तर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं और हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए ताकि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके, जिसमें लगातर वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 15000 हेक्टेयर वन भूमि पर एक करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि हरित क्षेत्र में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला राज्य है, जो ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर रहा है और केन्द्र सरकार से प्रथम किश्त के रूप में 1.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो पौधरोपण के लिए स्वयं सहायता समूहों को वितरित की जा रही है।

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार के प्रयासों की बदौलत 13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और नए पौधरोपण जीवित रहने की उच्च दर है।

वीरभद्र सिंह ने लोगों का आहवान किया कि वृक्षों का संरक्षण सुनिश्चित बनाएं, क्योंकि सभी का यह दायित्व बनता है कि पौधरोपण कर प्रकृति का भी संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि हमें अन्य संसारिक वस्तुओं की भांति पौधरोपण करने पर गर्व होना चाहिए।

इससे पूर्व, जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

चक बडाई गांव के एक प्रतिनिधिमण्डल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री से भेंट कर अपने गांव के लिए रोगी वाहन मार्ग के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि न्यायालय परिसर की सीमा के बाहर वन भूमि पर रोगी वाहन सड़क के निर्माण के लिए वन स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भी कुछ कारणों से इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क न होने के कारण ग्रामवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बजुर्गों व बीमारों को अस्पताल ले जाने में कठिनाई आती है।

मुख्यमंत्री ने जिला न्यायालय पुस्तकालय के लिए पांच लाख रुपये की राशि की भी घोषणा की।

अगस्त माह में निगम के राजस्व में 8 करोड़ की वृद्धि:बाली

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी. एस. बाली ने कहा कि निगम प्रबन्धन द्वारा निगम कर्मियों के प्रतिपूरक अवकाश से सम्बन्धित जारी निर्देशों की कर्मचारियों के हितों को देखते हुए शीघ्र समीक्षा की जाएगी और इस पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

बाली ने कहा कि कर्मचारी निगम की रीढ़ हैं, और लोगों को बेहतर एवं आरामदायी यातायात सुविधाएं प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मूर्तरूप देने में कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के दौरान निगम के राजस्व में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके लिये उन्होंने निगम के कर्मचारियों की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त, माईलेज 3.65 किलोमीटर प्रति लीटर से बढ़कर 3.71 तक पहुंच गई है, जिसका राजस्व वृद्धि में बड़ा योगदान है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम का बेड़ा आज 1600 से बढ़कर 2700 बसों का हो गया है, और इसी अनुपात में निगम में स्टॉफ की भर्ती भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को लग्जरी बस सुविधा से जोड़ा जा रहा है, साथ ही राज्य के जिला मुख्यालयों से बाहरी राज्यों को भी सुपर लग्जरी बस सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 25 ईलेक्ट्रिक बसों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और शीघ्र ही ये बसें निगम के बेड़े की शोभा बढ़ाएंगी।

बाली ने कहा कि राज्य सरकार निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कृतसंकल्प है। पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान निगम में 343 नियुक्तियां करूणामूलक आधार पर की गई है।

परिवहन मंत्री ने निगम के सभी कर्मचारियों से ईमानदारी के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ मुठीभर कर्मचारी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, और कर्मचारी इनके बहकावे में न आएं। ऐसे कर्मचारियों से निगम सख्ती से निपटेगा। उन्होंने कहा लोगों को गुणात्मक यातायात सुविधाएं प्रदान करना निगम की जिम्मेवारी है और इसके निर्वहन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध मिले योजनाओं का लाभ: कर्नल शांडिल

अल्पसंख्यकों में वितरित किए 60.35 करोड़ के ऋण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है, और इन समुदायों के लोगों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश वित एवं विकास निगम ने अल्पसंख्यक समुदाय एवं विशेष रूप से सक्षम 3527 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये 60.35 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गए हैं।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने आयोजित हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम निदेशक मण्डल की 41वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

डा. शांडिल ने कहा कि योजना के आरम्भ से अभी तक राज्य के 2191 अल्पसंख्यक व्यक्तियों को 32. 65 करोड़ रुपये जबकि 1336 दिव्यांग व्यक्तियों को 27.70 करोड़ रुपये के ऋण अपना रोजगार स्थापित करने जबकि 18 अल्पसंख्यक समुदाय एवं विकलांग व्यक्तियों को 29 लाख रुपये के ऋण शिक्षा के लिये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 – 15 से अभी तक 387 लाभार्थियों को 1200. 18 लाख रुपये के विभिन्न ऋण वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में निगम द्वारा 531 दिव्यांग व्यक्तियों को 941.63 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निगम के माध्यम से स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कम दरों एवं आसान शर्तों पर विभिन्न ऋण प्रदान कर रही हैं जिनमें कृषि, तकनीकी व्यवसाय, लघु व्यापार, परिवहन व सेवा तथा शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किये जा रहे

हैं जबकि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिये 20 लाख रुपये का ऋण देने का प्रावधान है।

डा. शांडिल ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लाभ प्रदेश के अन्तिम छोर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना सुनिश्चित बनाना सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी है। उन्होंने निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिये गरीब व्यक्तियों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान आवश्यक है और वर्तमान सरकार इस उद्देश्य को साकार करने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने बैंकों से ऋण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश गरीब व्यक्ति अधिक व अनावश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अभाव में सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य योजनाओं के मामलों में वांछित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को कहा।

डा. शांडिल ने विभाग को शीघ्र ही विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करने को कहा ताकि अल्पसंख्यकों के लिये कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले।

बैठक में निगम के कुछ पदों को अन्य पदों में तबदील करने के मामले पर भी सहमति बनी।

बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की प्रबन्ध निदेशक रीमा कश्यप ने कहा कि निगम की योजनाओं का अधिक से अधिक पात्र लोगों को समुचित लाभ प्राप्त हो, इसके लिये राज्य के विभिन्न भागों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वसूली दर 88 प्रतिशत रही है, जो काफी संतोषजनक है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जागरूकता शिविरों का एक केलेण्डर तैयार किया जा रहा है।

धर्मशाला को स्मार्ट सिटी में विकसित करने के लिए यूएनडीपी करेगा मदद

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमति जताई है। यूएनडीपी ने इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये (75 हजार डॉलर) की राशि जारी की है।

उन्होंने कहा कि यूएनडीपी धर्मशाला को भूकम्प-रोधी तकनीक के लिये जापान से जोड़ेगा। यह तकनीक मौजूदा तकनीकों में सबसे नवीनतम है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विशेषज्ञों से लाभान्वित होने के लिए इसे यूएसए से भी संबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएनडीपी जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से आपदा तैयारियों, जल प्रबन्धन व शहरी विकास के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करवाएगा।

सुधीर शर्मा ने कहा कि यूएनडीपी ने पूर्व में राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा श्रमशक्ति के लिए समन्वय स्थापित कर लिया है।

मंत्री ने कहा कि यूएनडीपी का एक दल अगले दो-तीन दिनों में स्मार्ट सिटी से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए धर्मशाला का दौरा करेगा।

पत्रकारिता में श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 16 नवम्बर को

शिमला/शैल। भारतीय प्रेस परिषद के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपने स्वर्ण जयंति स्मरणोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस परिषद अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रही है और 16 नवम्बर, 2016 को स्वर्ण जयंति स्मरणोत्सव आयोजित किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रिंट मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे पत्रकारों, फोटोग्राफरों व स्वतंत्र पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के लिए प्रविष्टि विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की गई है, जो भारतीय प्रेस परिषद की बैवसाईट www.presscouncil.nic.in पर अन्य दस्तावेजों के साथ उपलब्ध है।

इस बात को व्यक्त मत होने दीजिये कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाये रखिये और इस काम को करने के लिए दृढ रहिये .....चाणक्य

सम्पादकीय

प्रधान न्यायधीश की चिन्ता

देश के प्रधान न्यायधीश श्री तीरथ सिंह ठाकुर ने प्रधान मन्त्री के पन्द्रह अगस्त को लाल किले से देश के नाम आये संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया में यह चिन्ता व्यक्त की कि इसमें न्यायपालिका को लेकर कुछ नहीं कहा गया। पन्द्रह अगस्त के बाद प्रधान न्यायधीश दो कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिये शिमला आये। इन कार्यक्रमों में प्रधान न्यायधीश ने फिर चिन्ता व्यक्त की कि निष्पक्ष और तीव्र न्याय अभी बहुत दूर की बात है। प्रधान न्यायधीश की यह चिन्ताएं देश की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्योंकि जब आदमी व्यवस्था से लड़ते-लड़ते हार जाता है तब उसकी न्याय के लिये अन्तिम उम्मीद केवल न्यायपालिका ही रह जाती है। लेकिन अब इस अन्तिम उम्मीद के प्रति भी लोगों का भरोसा टूटने लगा है। क्योंकि उच्च न्यायपालिका में बैठे कानून के रखवालों के अपने आचरण पर भी प्रश्न चिन्ह लगने के कई मामले सामने आ चुके है। ऐसे परिदृश्य में जब देश का प्रधान न्यायाधीश ही निष्पक्ष और तीव्र न्याय पर सन्देह व्यक्त करें तो निश्चित रूप से पूरी वस्तुस्थिती की गंभीरता को लेकर चिन्ता और चिन्तन की आवश्यकता आ खडी होती है।

इस समय न्यायपालिका में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हर स्तर पर हजारों-हजार मामलें वर्षो से लंबित चले आ रहे हैं। किसी मामले का समय से अधिक वक्त तक लंबित रहना अपने में ही अन्याय बन जाता है। यह स्थिति इसलिये है क्योंकि पूरी न्यायव्यवस्था में हर स्तर पर जजों की कमी है। लोअर न्यायपालिका में जजों कि नियुक्तियों के लिये एक स्थापित प्रक्रिया चली आ रही है। लोकसेवा आयोगों के माध्यम से यह नियुक्तियां की जाती है। इसमें भी प्रदेश लोकसेवा आयोगों के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक भर्तीयां किये जाने की व्यवस्था बनाये जाने की मांग चल रही है। आई ए एस और आई पी एस सेवाओं के समान ही राष्ट्रीय न्यायिक सेवा गठन की आवश्यकता पर विचार की मांग चल रही है। लेकिन उच्च न्यायपालिका में जजों की भर्ती के लिये चल रही वर्तमान व्यवस्था को बदलने को लेकर चल रही मांग और उस पर आये सुझावों को लेकर उच्च न्यायपालिका में टकराव की स्थिति चल रही है। इसी टकराव के कारण न्यायपालिका में जजों के रिक्त पद भरे नही जा पा रहे हैं। इस टकराव का अन्तिम परिणाम क्या होगा और उच्च न्यायपालिका में रिक्त स्थान कैसे भरे जायेंगे इसको लेकर कब स्थिति स्पष्ट हो पायेगी यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह जो व्यवस्था चल रही है उसमें आम आदमी का भरोसा कैसे कायम रहे इसको लेकर सरकार और न्यायपालिका को तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि यह कदम तुरन्त न उठाये गये तो इस समय उच्च न्यायालयों में न्याय की प्रतीक बनी ''आंखो पर पट्टी बंधी देवी'' का टंगा चिन्ह महाभारत के धृतराष्ट्र और गांधारी का पर्याय बन जायेगा।

क्योंकि अभी जब प्रधान न्यायधीश शिमला थे तो दोनो कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमन्त्री उनके साथ थे। इस समय मुख्यमन्त्री सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे है। सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ मुख्यमन्त्री प्रदेश उच्च न्यायलय में गये। इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली राहत को जब सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय मे स्थानांतरित किये जाने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आग्रह को स्वीकारते हुए जिस तरह की अदालत में टिप्पणी की थी वह सबके सामने है। ऐसी टिप्पणी के बाद भी यह मामला जांच ऐजैन्सीयों और अदालत के बीच अभी तक स्पष्ट निर्देशों तक नही पहुंच पाया है। आम आदमी में इससे '' समर्थ को नही दोष गोसाई'' जैसी धारणा बनना स्वाभाविक है। ऐसे परिदृश्य में जब मुख्यमन्त्री और प्रधान न्यायधीश को जनता सर्वाजनिक कार्यक्रमों में इकट्ठा देखेगी तो निश्चित रूप से उसके साथ कई और चर्चाएं भी जुड जायेंगी जिनका संदेश बहुत ज्यादा स्वस्थ नही होगा। आज इस यात्रा को लेकर ऐसे कई सवाल जन चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे ही प्रसंगों से आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पर से डगमगाने लग जाता है और इस विश्वास को बनाये रखना सबसे बडी आवश्कयता है। क्योंकि यदि विश्वास खण्डित हुआ तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा यह तय है और तब अन्य सारी चिन्ताएं बेमानी हो जायेंगी।

रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में

प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित बनाने के पुरजोर प्रयास कर रही है। युवाओं के कल्याण के लिये विभिन्न कदम उठाए गए हैं तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया गया है।
गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। अकेले सरकारी क्षेत्र में 27000 से अधिक युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई हैं।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिये कौशल विकास भत्ता योजना आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता जबकि शारीरिक रूप से विकलांगजनों को 1500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अभी तक 86.64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

16 से 36 वर्ष तक की आयु का कोई भी हिमाचली जिसकी पारिवारिक आय सालाना दो लाख रुपये से कम हो, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन मिस्त्री, बढ़ई, लोहार अथवा पलम्बर के लिये शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

ग्रामीण लोगों की आर्थिकी में और अधिक संबल लाने के लिये मनरेगा के माध्यम से लोगों को उनके घर-द्वार के समीप रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 708.63 कार्यदिवस अर्जित किए गए, जिसमें से अकेले महिलाओं ने 438.94 कार्य दिवस अर्जित किए। योजना पर पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 1474.34 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक ढांचे को और मजबूत करने तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये तीव्र औद्योगिकरण पर बल दे रही है। एक सौ से अधिक हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने 267 नई औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें 26000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।

केन्द्रीय रोजगार प्रकोष्ठ राज्य में औद्योगिक इकाईयों को तकनीकी एवं कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध करने के करवाने के अतिरिक्त अकुशन श्रमिकों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। श्रम एवं रोजगार विभाग ने राज्य में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 29 रोजगार मेलों का आयोजन कर लगभग 20245 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया।

इसके अलावा, विशेषज्ञों की मदद से राज्य के कालेजों एवं स्कूलों में युवाओं को मार्गदर्शन एवं केरियर परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान युवाओं को उपयुक्त व्यवसाय चुनने में मदद के लिये इस प्रकार के 585 व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श शिविरों को आयोजन किया गया है। राज्य के 200 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 7 प्रकार के व्यावसायिक पाठयक्रम आरम्भ किए गए हैं, जिनमें ऑटोमोबाईल, खुदरा, सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवाएं शामिल हैं।

शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिये श्रम एवं रोजगार निदेशालय में एक विशेष रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रकोष्ठ में ऐसे 6448 उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है तथा शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिये 593 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिये प्रकोष्ठ के माध्यम से 171 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार अपनाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के इन प्रयासों के चलते राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्म-निर्भर बनने के अनेकों अवसर मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

सभी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की थी। बाद में 14 अगस्त, 2016 को पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस योजना को कोलकाता में नजरूल मंच से शुरू किया गया। देशभर के गांवों को धुआं रहित बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार बनाने की दिशा में यह पहल की गई थी। अब यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के अवसर के रूप में पहचान बना चुकी है। हर घर को एलपीजी कनेक्शन देने वाली यह योजना महिलाओं को एक विशेष पहचान तो देती ही है साथ ही धुआंरहित वातावरण, प्रदूषण में कमी और स्वस्थ जीवन देने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है।

पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ 3 लाख परिवार हैं, जिनमें से 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परिवारों को 2019 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाना है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के राज्य में दस बॉटलिंग प्लांट हैं और वर्तमान एलपीजी ग्राहकों के लिए इनकी संयुक्त क्षमता 990 टीएमटीपीए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को देखते हुए सभी तेल विपणन कंपनियां आने वाले दिनों में अपनी बॉटलिंग क्षमता को बढ़ाएंगी, जिससे कि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पहले ही साढ़े छह लाख से ज्यादा लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। सरकार ने सभी तेल कंपनियों को आदेश जारी कर सिलेंडरों, रेगुलेटरों और सहायक उपकरणों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इस योजना को अधिक कारगर बनाने और बड़े स्तर पर लागू करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को एलपीजी कनेक्शन बांटने के लिए विशेष उज्ज्वला मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। 15 अगस्त से 17 अगस्त, 2016 के बीच सभी एलपीजी वितरण केन्द्रों पर इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर स्थानीय स्वतंत्रता सैनानी, पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों की विधवाओं को इन मेलों में आमंत्रित किया गया है।

इस योजना का मुख्य मंत्र है– स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन– महिलाओं को मिला सम्मान। राष्ट्रीय स्तर पर अगले तीन सालों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही यह योजना इन परिवारों को हर कनेक्शन पर 1600 रुपए की आर्थिक मदद भी देती है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम पर कनेक्शन दिया जाएगा। तेल विपणन कंपनियां चूल्हे और सिलेंडर के पहले भराव पर ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेंगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक ईंधनों की जगह स्वच्छ और अधिक प्रभावी एलपीजी ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। विशेष तौर पर ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बीपीएल परिवार की महिला के नाम पर ही इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय योजना के अंतर्गत पहचाने गए बीपीएल परिवारों का डाटा सामाजिक, आर्थिक जनगणना में उपलब्ध करा रहा है। इस योजना को आगे ले जाने और इसे जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी इस योजना को हर जिले में लागू कराने में वाहक का काम करेंगे।

केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कराने के लिए पहले ही 2016–17 वित्त वर्ष में दो हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार लगभग 1 करोड़ 5 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देगी। अगले तीन सालों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। गिव इट अप अभियान के तहत एलपीजी सब्सिडी में बचाई गई राशि इस योजना में इस्तेमाल की जा रही है। देश के इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह की आसाधारण योजना लागू की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य महिलाओं को हानिकारक ईंधन से छुटकारा दिलाकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में आगे ले जाना है। इस योजना का अन्य उद्देश्य हानिकारक ईंधन से होने वाली मृत्यों की संख्या में कमी लाना है और साथ ही लोगों को अस्वच्छ ईंधन से घर में होने वाले वायु प्रदूषण से बचाना है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिला उज्ज्वला योजना केवाईसी आवेदन पत्र को भरकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे आवेदकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ दो पेज का आवेदन पत्र भरना होगा। इस आवेदन पत्र में पत्राचार विवरण, जन धन और अन्य बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि भरना होगा। आवेदकों को किस तरह का सिलेंडर चाहिए यह बात भी इस फॉर्म में उल्लेखित करनी होगी, जैसे कि 14.2 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम का सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के लिए केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी एलपीजी आउटलेट पर जमा किया जा सकता है। इस फॉर्म के साथ जमा होने वाले जरूरी दस्तावेजों में निकाय अध्यक्ष या पंचायत प्रधान द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड जैसे एक फोटो पहचान पत्र और आवेदक की हाल ही में खिंची गई पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

भारत में 24 करोड़ से भी ज्यादा परिवार रहते हैं जिनमें से लगभग 10 करोड़ परिवार अभी भी एलपीजी गैस से वंचित हैं और इन लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत के बाद यह योजना मई में उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात और जून 2016 में उत्तराखंड, ओडिशा और बिहार में लागू की गई। पिछले रविवार को पश्चिम बंगाल में इस योजना के राज्य स्तर पर लागू होने से पहले ही पिछले महीने इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया था।

स्विफ्ट–'व्यापार करने में सुगमता' की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण

शिमला/शैल। गत दो साल के दौरान केंद्र सरकार की व्यापार करने में सुगमता में सुधार की पहलों के तहत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा कई सरलीकरण कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट में की गई घोषणा के क्रम में और 'व्यापार करने में सुगमता' पहलों के क्रम में सीबीईसी ने कस्टम्स स्विफ्ट (व्यापार को आसान बनाने के लिए एकल विंडो इंटरफेस) स्वीकृति परियोजना को पेश किया, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू हो चुकी है।

स्विफ्ट से भारत को विश्व बैंक की व्यापार करने में सुगमता रिपोर्ट 2016 में अपनी रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी। फिलहाल भारत व्यापार करने में सुगमता में 189 देशों की सूची में 130वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2015 में यह 134वें पायदान पर था।

कस्टम्स स्विफ्ट से आयातकों/निर्यातक इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रूकनिक पोर्टल/इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे या आइसगेट पोर्टल पर एक समान इलेक्ट्रोनिक 'एकीकृत घोषणा' करने में सक्षम हो जाएंगे। इस एकीकृत घोषणा सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटाइन, एनीमल क्वारंटाइन, औषधि नियंत्रक, वन्य जीव नियंत्रण ब्यूरो और वस्त्र समिति के लिए जरूरी जानकारियों का संकलन होता है। यह उन 9 फ र्मों की जगह लेता है, जो इन 6 विभिन्न एजेंसियों और सीमा शुल्क विभाग के लिए जरूरी होते हैं। एकल खिड़की की शुरुआत के साथ ही सीबीईसी ने साझेदार सरकारी एजेंसियों के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन सुविधा भी शुरू कर दी है, जिससे सुनिश्चित होगा कि एजेंसियां नियमित आधार पर जांच और परीक्षण के लिए खेपों का चयन न करें, बल्कि ऐसा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत् के आधार पर किया जाए।

इससे भागीदार एजेंसियों के लिए अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों (मानव और पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित) में ज्यादा प्रभावी रूप से काम करने में मदद मिलेगी। इस घटनाक्रम के साथ आज भारतीय सीमा शुल्क विभाग दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो जहां एकल खिड़की मंजूरियों, कई साझेदार सरकारी एजेंसियों के भटकाव से बचाने वाली और एकीकृत जोखिम आधारित चयन वाली व्यवस्था लागू है।

एकल खिड़की का क्रियान्वयन देश की सबसे ज्यादा जटिल व्यवस्था का समाधान है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स द्वारा लागू किया गया है। एकल खिड़की और 'एकीकृत घोषणा' को लागू करने के लिए सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र की एजेंसियों दोनों की आईटी व्यवस्था को बदल दिया गया था। इस पूरी कवायद को बेहतर सामंजस्य के साथ किया गया था और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स और एकल खिड़की दल के अधिकारियों के अथक प्रयासों के बाद ही यह संभव हो सका है।

एकल खिड़की प्रणाली देश के प्रवेश और निकासी के बिंदुओं पर सामानों की मंजूरियों के लिए व्यापार को आसान बनाने के कदमों को लागू करने के लिए अहम है। आयात और निर्यात प्रक्रियाओं में कुशलता से व्यापार आधारित लागत और देरी कम होने से आयातकों और निर्यातकों का काफी पैसा बचेगा। मानक संचालन प्रक्रिया और टाइमलाइन्स के प्रकाशन में सरकारी एजेंसियों की भागीदारी के लिए कैबिनेट सचिव की अगुआई वाली सचिवों की समिति ने सभी संबंधित विनियामकीय एजेंसियों के लिए मानदंड और लक्ष्य तय कर दिए हैं। एजेंसियों और उद्योग जगत के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर काम करने के क्रम में बंदरगाह और केंद्रीय स्तर की सीमा शुल्क स्वीकृति सुविधा समितियां (सीसीएफसी) स्थापित की गई है, जिनका उद्देश्य कार्गो के आयात और निर्यात के लिए अंतर–एजेंसी प्रक्रियाओं और दस्तावेजी जरूरतों का सरलीकरण और सुगम बनाना है।

सीबीईसी प्रमुख नजीब शाह के मुताबिक आयात और निर्यात मंजूरियों से जुड़ी समय और लागत सरकार के लिए बड़ी चिंता रही है। लेनदेन लागत और कार्गो जारी करने के समय में कटौती के क्रम में सीबीईसी बीते दो साल के दौरान कई कदम उठा चुका है। इस दिशा में एक अहम कदम के तौर पर कस्टम की एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। शाह ने कहा कि एकल खिड़की परियोजना के लिए विभिन्न पक्षों में खासा उत्साह और सहयोग देखने को मिल रहा है। विभाग के प्रयासों और भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र में दिख रहे जोश से विभाग को समयबद्ध तरीके से परियोजना को पेश करने में मदद मिली।

स्विफ्ट के प्रमुख लाभ

- इससे आयातित वस्तुओं को स्वीकृति के लिए एक एकल बिंदु इंटरफेस मिलेगा।
- 9 अलग–अलग दस्तावेजों के स्थान एक एकीकृत सीमा शुल्क इलेक्ट्रोनिक घोषणा इसकी जगह लेगा।
- समय कम लगने और व्यापार करने में सुगमता में सुधार से कारोबार करना सरल होगा।
- दस्तावेज तैयार करने में और मंजूरी में लगने वाली लागत कम होगी।
- एकल मंच पर 6 भागीदार एजेंसियां आएंगी।
- इससे करदाताओं के लिए इन एजेंसियों से अलग–अलग संवाद की जरूरत खत्म होगी।

स्विफ्ट वास्तव में सरकार की नई व्यापार सरलीकरण पहलों को लागू करने के लिए काफी काम किया है, जो आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

डी. एस. मलिक

मालवा का मंगल पांडे–शहीद कुंवर चैन सिंह

'अखिल कुमार नामदेव'

देश में जब अंग्रेजी कुशासन का दौर चल रहा था तब उन्हें सीधे–सीधे चुनौती देने एवं ललकारने का साहस मालवा में सीहोर की धरती पर कुंवर चैन सिंह ने दिखाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ फिरंगियों से लोहा लिया उन्हें नाको चने चबवाए लेकिन अंत में वह वीरगति को प्राप्त हो गए। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली सशस्त्र क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। मगर कुंवर चैन सिंह की शहादत मंगल पांडे के शहीद होने की घटना से भी करीब 33 वर्ष पहले की है।

भारत में व्यापारी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति के चलते राजे–रजवाड़े और आम नागरिक बहुत प्रताड़ित और व्यथित हो रहे थे। अपनी विस्तारवादी लिप्सा के चलते कंपनी जहां रजवाड़ों और रियासतों को अधिकार विहीन कर रही थी, वहीं व्यापार के बहाने नागरिकों का दोहन भी कर रही थी। इस वजह से यदा कदा कंपनी की खिलाफत के सुर भी सुनाई पड़ने लगे थे। सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल के तत्कालीन नवाब के बीच हुए समझौते के बाद कंपनी ने सीहोर में एक हजार सैनिकों की छावनी बनाई। कंपनी द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को इन फौजियों का प्रभारी बनाया गया। इस फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को भोपाल सहित नजदीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। बाकी तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन चुके कुंवर चैन सिंह ने रियासत से गद्दारी कर रहे अंग्रेजों के पिट्ठू दीवान आनंदराम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा को मार दिया।?

मंत्री रूपराम के भाई ने कुंवर चैन सिंह के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नजदीक बैरसिया में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को दीवान आनंदराम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा की हत्या के अभियोग से बचाने के लिए दो शर्तें रखीं। पहली शर्त थी कि नरसिंहगढ़ रियासत, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारे। दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होनेवाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। कुंवर चैन सिंह द्वारा दोनों ही शर्तें ठुकरा देने पर मैडॉक ने उन्हें 24 जून 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। अंग्रेजों की बदनीयती का अंदेशा होने के बाद भी कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे। जहां पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक और अंग्रेज सैनिकों से उनकी जमकर मुठभेड़ हुई। कुंवर चैन सिंह और उनके मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजों की फौज से डटकर मुकाबला किया। घंटों चली लड़ाई में अंग्रेजों के तोपखाने और बंदूकों के सामने कुंवर चैन सिंह और उनके जांबाज लड़ाके डटे रहे।

ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की अष्टधातु से बनी तोप पर अपनी तलवार से प्रहार किया जिससे तलवार तोप को काटकर उसमें फंस गई। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज तोपची ने उनकी गर्दन पर तलवार का प्रहार कर दिया जिससे कुंवर चैन सिंह की गर्दन रणभूमि में ही गिर गई और उनका स्वामीभक्त घोड़ा शेष धड़ को लेकर नरसिंहगढ़ आ गया। कुंवर चैन सिंह की धर्मपत्नी

कुंवरानी राजावत जी ने उनकी याद में परशुराम सागर के पास एक मंदिर भी बनवाया जिसे हम कुंवरानी जी के

मंदिर के नाम से जानते है।

सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के दौरान 6 अगस्त 1857 को हुए सीहोर सैनिक छावनी विद्रोह के भी 33 वर्ष पहले हुई नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ओर उनके साथियों की इस शहादत का अपना महत्व है। 1824 की यह घटना नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 से सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारम्भ किया है।

सीहोर के 356 क्रांतिकारियों की शहादत की कहानी

'प्रेम चन्द्र गुप्ता'

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित सीहोर में मकर संक्रांति का पर्व गुड़, तिल्ली और मिठास के लिए नहीं बल्कि देश की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 356 अनाम शहीदों की शहादत के पर्व के रूप में याद किया जाता है। दरअसल, 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 61 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1858 को सीहोर में 356

क्रांतिकारियों को कर्नल हिरोज ने सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया क्योंकि इन देशभक्त शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। यह देश की अनूठी और इकलौती क्रांतिकारी सरकार 6 माह तक चली। लेकिन, क्रांतिकारियों के इस सामूहिक हत्याकाण्ड के बाद सीहोर कंटोनमेंट एक बार फिर अंग्रजों के अधीन हो गया। इस लोमहर्षक बर्बर हत्याकांड के बाद शहीदों के महान रक्त से सनी यह जगह मालवा के जलियांवाला के रूप में लोगों के बीच जानी जाती है।

भोपाल के स्वराज संस्थान संचालनालय ने सिपाही बहादुर सरकार के नाम से एक किताब का प्रकाशन किया है। पुस्तक में लिखा है, 'इस समाधि स्थल के चारों तरफ स्थित इसी मैदान में ही 14 जनवरी 1858 को हत्यारे कर्नल हिरोज ने 356 देशभक्तों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया था। दरअसल मेरठ की क्रान्ति का असर मध्य भारत में भी आया और मालवा के सीहोर में चूकि अंग्रेज पॉलीटिकल ऐजेन्ट का मुख्यालय था, लिहाजा यहां के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। लगभग 6 महीने तक सीहोर कंटोनमेंट अंग्रेजों से मुक्त रहा। इसी दौरान मध्य भारत के विद्रोहियों को खासकर झांसी की रानी के विद्रोह को कुचलने के लिए बर्बर कर्नल हिरोज को एक बड़े लाव लश्कर के साथ भेजा गया। इन्दौर में सैनिकों के विद्रोह को कुचलने के बाद कर्नल हिरोज 13 जनवरी 1858 को सीहोर पहुंचा और अगले दिन 14 जनवरी 1858 को विद्रोही सिपाहियों को सबक सिखाने की नीयत से उन्हें सीहोर की जीवन सलिला सीवन नदी के किनारे घेर कर गोलियों से भून डाला।'कहते हैं कि सीवन का जल क्रान्तिकारियों के लहू से लाल हो गया और शहीदों की मृत शरीर कई रातों तक वहीं पड़े रहे, बाद में स्थानीय नागरिकों ने इन मृत शरीरों को सीवन नदी के किनारे गड्ढे खोदकर दफन कर दिया।

अब पिछले कुछ सालों से हर साल कुछ नागरिक मकर संक्रांति के

दिन इन शहीदों को याद करने सीवन नदी के तट पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हालांकि मालवा के इन अनाम सिपाहियों की बलिदान की गाथा अब भी गुमनामी के दौर से गुजर रही है।

IFS संजीव चतुर्वेदी के मामले में आये कैट

पृष्ठ 1 का शेष

इसके बाद 30 मार्च को इस मैमोरण्डम पर नड्डा ने भी बतौर अध्यक्ष एम्ज अपनी स्वीकृति दे दी। इस पर चतुर्वेदी ने इन पत्रों को वापिस लेने के लिये निदेशक को ज्ञापन दिया जिसे स्वीकार नही किया गया। बल्कि यह पत्र सचिव स्वास्थ्य, एंवम् परिवार कल्याण सचिव वन एवम् पर्यावरण भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उत्तराखंड को भी भेज दिये गये। चतुर्वेदी आई एफ एस हैं इस नाते सचिव वन एवंम् पर्यावरण को यह पत्र भेजा गया और एम्ज का कार्यकाल पूरा करने पर उतराखण्ड वापिस जाना था इसलिये वहां के मुख्य सविच को भी यह पत्र भेजा गया। एक ओर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ संसद के 2015 के शीतकालीन सत्र के दौरान गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिये यह मेमो जारी हो रहे थे वही दूसरी ओर अनुकरणीय सेवाओं के लिये उन्हें मेगासेसे अवार्ड से नवाजा गया। चतुर्वेदी ने संसद सत्र के दौरान किस तरह की अनुशासन हीनता बरती, किस अधिकारी के आदेशों की अवेहलना की गयी इस सबका कोई जिक्र उन पत्रों में नही है जो उन्हें जारी किये गये। यहां तक की संजीव चतुर्वेदी ने कभी नड्डा के साथ काम भी नही किया है। लेकिन नड्डा ने एम्ज के निदेशक द्वारा जारी किये गये मेमो को ही अनुमति प्रदान कर कारवाई को अंजाम दे दिया। चतुर्वेदी को अपना पक्ष तक रखने का अवसर नही दिया गया।

अपने खिलाफ हुई एकतरफा कारवाई को चतुर्वेदी ने कैट में चुनौती दी। कैट ने सारा रिकार्ड देखने के बाद इन मैमोज़ को रद्द करते हुए कहा है कि

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi-29

No. F. 6-96/2012-Estt.I (Main File) Dated: 30 MAR 2016

ORDER

The Director AIIMS had placed on record his displeasure on insubordination, indiscipline and lack of work ethic of Sh. Sanjiv Chaturvedi, Deputy Secretary AIIMS during the winter session of parliament 2015 vide memorandum of even number dated 07.01.2016.

Sh. Sanjiv Chaturvedi, Deputy Secretary, AIIMS had written to Director AIIMS on 11.01.2016 threatening the administration that the memorandum may be withdrawn failing which he would resort to appropriate legal proceedings against Director and Deputy Director Administration in personal capacity for which the whole responsibility would be that of Director AIIMS.

The letter of Sh. Sanjiv Chaturvedi, Deputy Secretary, AIIMS has been examined by the Institute in consultation with Ministry of Health & Family Welfare. The representation of Sh. Sanjiv Chaturvedi, Deputy Secretary, AIIMS has been rejected.

The President AIIMS has upheld & reiterated the displeasure memorandum of the Director AIIMS issued on insubordination, indiscipline and lack of work ethic of Sh. Sanjiv Chaturvedi during the winter session of Parliament 2015.

President, AIIMS has further directed that this may be sent to the Secretary, Ministry of Health & Family Welfare and Cadre Controlling Authority.

This issues with approval of President AIIMS.

(CHAKRAVARTHY E.V.S.)
ADMINISTRATIVE OFFICER (DO)

Sh Sanjiv Chaturvedi
Dy. Secretary, AIIMS,
New Delhi-110 029

Copy to:

1. Shri B. P. Sharma, Secretary (Health), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, NEW DELHI.
2. Shri Ashok Lavasa, The Secretary, Ministry of Environment & Forests, NEW DELHI.
3. Shri Shatrughan Singh, Chief Secretary, Uttarakhand, Dehradun

SPEED POST

4. PPS to Director/ PS to DD (A)

कैट का चतुर्वेदी के पक्ष में आया फैसला नड्डा की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि चुतर्वेदी एम्ज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली लडाई लड़ रहे थे। एम्ज के भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई में शिकायतें थी। इन शिकायतों पर एम्ज में अपने स्तर पर की गयी कारवाई से सीबीसी को सूचित करने के लिये 9.1. 14, 17.12.14 और 5.10.15 को सीबीआई ने पत्र भेजे थे। इसी सद्धंर्भ में जब संजीव चतुर्वेदी सीबीआई के निर्देशों का पालन कर रहे थे तभी वहां से खदेड़ने के लिये यह मेमो जारी करने का खेल शुरू हो गया और नड्डा भी इस खेल का एक पात्र बन गये।

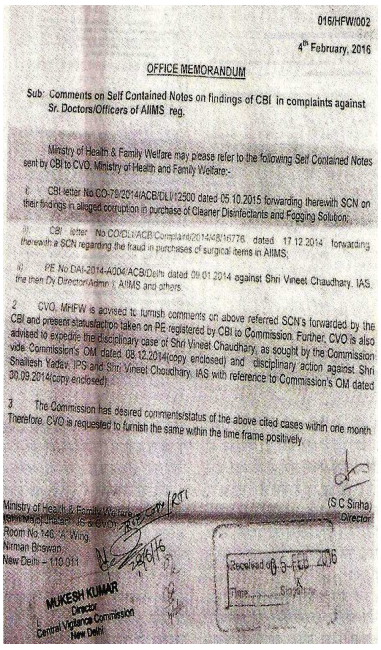

एम्ज में बडे स्तर पर भ्रष्टाचार है यह सीबीआई के 4. 2.16 को भेजे पत्र से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इस भ्रष्टाचार की जांच क्यों नही होने दी जा रही है? भ्रष्टाचारीयों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? स्वास्थ्य एंवम परिवार कल्याण मन्त्री के नाते नड्डा एम्ज के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में बतौर केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री और एम्ज के अध्यक्ष होने के नाते भ्रष्टाचार की गहन जांच करवाने और भ्रष्टों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी उन पर

016/HFW/002

4th February, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Comments on Self Contained Notes on findings of CBI in complaints against Sr. Doctors/Officers of AIIMS reg.

Ministry of Health & Family Welfare may please refer to the following Self Contained Notes sent by CBI to CVO, Ministry of Health and Family Welfare:-

i. CBI letter No CO-79/2014/ACB/DLI/12500 dated 05.10.2015 forwarding therewith SCN on their findings in alleged corruption in purchase of Cleaner Disinfectants and Fogging Solution;

ii. CBI letter No.CO/DLI/ACB/Complaint/2014/48/16776 dated 17.12.2014 forwarding therewith a SCN regarding the fraud in purchases of surgical items in AIIMS;

iii. PE No DAI-2014-A004/ACB/Delhi dated 09.01.2014 against Shri Vineet Chaudhary, IAS the then Dy Director(Admn.), AIIMS and others.

2. CVO, MHFW is advised to furnish comments on above referred SCN's forwarded by the CBI and present status/action taken on PE registered by CBI to Commission. Further, CVO is also advised to expedite the disciplinary case of Shri Vineet Chaudhary, as sought by the Commission vide Commission's OM dated 08.12.2014(copy enclosed) and disciplinary action against Shri Shailesh Yadav, IPS and Shri Vineet Choudhary, IAS with reference to Commission's OM dated 30.09.2014(copy enclosed).

3. The Commission has desired comments/status of the above cited cases within one month. Therefore, CVO is requested to furnish the same within the time frame positively.

(S C Sinha)
Director

Ministry of Health & Family Welfare
(Shri Manoj Jhalani, JS & CVO),
Room No.146, 'A' Wing,
Nirman Bhawan,
New Delhi – 110 011

TRUE COPY/RTI

MUKESH KUMAR
Director
Central Vigilance Commission
New Delhi

Received on 05 FEB 2016

आती है। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की जांच करवाने की बजाये उस अधिकारी को प्रताड़ित किया गया जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था।

वीरभद्र का जेटली पर साजिश का आरोप, महेश्वर के यूटर्न पर ली चुटकी, सदन में हंगामा

शिमला/शैल। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। पिछले साढ़े तीन सालों से वीरभद्र सिंह के साथ नजर आ रहे हाल ही में भाजपा में आए हिलोपा विधायक महेश्वर सिंह ने यूटर्न लिया और सदन में वीरभद्र सिंह का क्रश्न का मामला उठा दिया। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में तल्खी के साथ मोदी सरकार में मंत्री अरुण जेटली, सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल उनके छोटे लड़के अरुण धूमल और दूसरे लड़के व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर सीधे-सीधे उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप जड़ दिया। इस पर सदन में हंगामा मच गया। हंगामें के बीच भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया।

दूसरी ओर पिछले साढ़े तीन सालों में सदन में पहली बार महेश्वर सिंह ने वीरभद्र सिंह पर इस तरह सीधा हमला किया व स्पीकर से कहा कि सभी अखबारों में छपा है कि सीबीआई वीरभद्र सिंह के आय से अधिक मामले में चार्जशीट अदालत में पेश करने वाली है। इस पर सदन में हंगामा मच गया और महेश्वर सिंह आगे कुछ भी नहीं बोल पाए।

सतापक्ष व विपक्ष के बीच इस मसले पर मचे शोरगुल के बीच वीरभद्र सिंह ने तेवर दिखाते हुए कहा कि मुझे इस तरह केस बनाकर नहीं दबाया जा सकता। मैं फोर्स से लड़ूंगा। मैं ऐसी चार्जशीटों से नहीं डरता। धूमल इससे पहले जब भी दो बार मुख्यमंत्री बने मेरे खिलाफ केस बनाए। मैं अदालत से बरी होकर बाहर आया।

वीरभद्र सिंह ने महेश्वर सिंह को लेकर भी चुटकी ली। भारी शोरगुल के बीच उन्होंने कहा कि 'इसने जनता की संपति पर कब्जा किया है। ताजा-ताजा जख्म है'। इस पर शोरगुल हो गया। सीएम ने शोरगुल के बीच ही कहा कि 'ये मेरा निजी मामला है। जो मेरा राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। यहां ये गौरतलब है कि सरकार ने महेश्वर सिंह के रघुनाथ मंदिर को सरकारी कब्जे में ले लिया है। उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। महेश्वर सिंह इसलिए वीरभद्र सिंह से खफा है। पिछले तीन सालों से वो वीरभद्र सिंह सरकार के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन बीते दिनों वो बीजेपी में शामिल हो गए थे।

सीएम ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकार में बड़ा जमीन का टुकड़ा भूस के भाव में दे दी। जमीन को गलत तरीके से दिया गया। इस बीच भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि बीच में बोल पड़े कि आप गलत कह रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि एचपीसीए पांच सितारा होटल बनाना चाहती थी। खिलाड़ियों को रहने के लिए। लेकिन वहां आज भी पंद्रह सौ पेड़ खड़े है। जबकि कहा ये गया कि जमीन बंजर कदीम हैं।

सीएम ने कहा कि उनके खिलाफ अरुण धूमल, अनुराग धूमल, धूमल व अरुण जेटली साजिश कर रहे है। परदे के पीछे जो चल रहा उससे वो डरते नहीं हैं। एक ही मामला है, जो अभी आयकर विभाग के पास लंबित है। इसके अलावा इसी मामले की सीबीआई और इडी भी जांच कर रही है। तीन एजेंसियां एक ही मामले के पीछे पड़ी हैं, तो क्या ये 'बिचहंटिंग' नहीं तो और क्या है। अंत में जीत सच्चाई की होगी। उन्होंने कहा कि वो सबको एक्सपोज करेंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल मौजूद नहीं थे।

इसके बाद वीरभद्र सिंह ने भाजपा विधायकों की ओर मुखातिब होकर अजीब टिप्पणी कर दी कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका मुंह काला हो, और जो अखबार शह दे रहे हैं उनका मुंह भी काला हो जाएगा। भाजपा विधायकों ने इस पर एतराज जताया व इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने की मांग की।

भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज बार बार वीरभद्र सिंह के खिलाफ बोल रहे तो सीएम ने उनको लेकर भी टिप्पणी की व बोले भारद्वाज जी कुछ तो शर्म करो, ये, पंड जी महाराज'। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आप लोगों को जनता को जवाब देना है।

भाजपा विधायक शोरगुल करते रहे तो इस पर वीरभद्र सिंह ने उनकी ओर मुखातिब होकर उकसाते हुए बार-बार कहा कि 'वॉक आउट करो', आप 'वॉकआउट करो'। वो बोले 'आउट'। इससे भाजपा विधायक भड़क गए और भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि ने माइक पर हाथ मार दिया।

रविंद्र रवि की अगुवाई में सारे भाजपा विधायक स्पीकर बी बी बुटेल के आसन के सामने आ गए और नारे लगाने लगे। रवि ने सचिव विधानसभा के टेबल पर रखी फाइल उठाई व उसे जोर जोर से टेबल पर पटकते रहे। इस बीच पीछे से रिखी राम कौंडल ने रवि की पीठ पर हाथ रखा व फाइल को टेबल पर पटकने से रोका। रवि पीछे आ गए और भाजपा विधायक जमकर नारेबाजी करते रहे।

इस बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने टीसीपी संशोधन बिल वापस ले लिया और शोरगुल के बीच भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा विधायकों ने स्पीकर की ओर से उन्हें बोलने का समय न दिए जाने पर आखिर में भी वॉकआउट कर दिया। इस बीच रविंद्र रवि की ओर से माइक पर हाथ मारने के मामले को लेकर स्पीकर बी बी बुटेल ने कहा कि ये सदन की अवमानना है। कार्यवाही की जाएगी। आखिर में सीएम ने सदन में शिमला से दो साल पहले किडनैप हुए चार साले के बच्चे की लाश मिलने की जानकारी सदन को दी व कहा कि ये मामला सुलझा लिया गया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

युग हत्या कांड

नौकर के नार्को से खुला इस अपहरण और हत्या का मामला

शिमला/शैल। चार साल के मासूम युग के अपहरण और फिर हत्या के कांड को सुलझाने में सीबीआई को युग के कारोबारी पिता के अपने नौकर के नार्को से ही इन अपराधियों तक पहुचने में सफलता मिली है। इन्ही की शिनाख्त पर युग का कंकाल पानी के उस टैंक से बरामद हुआ है जिसे पीलिया प्रकरण में नगर निगम कई बार साफ करने का दावा कर चुकी है। टैंक की सफाई में यह कंकाल क्यों सामने नहीं आया? इसको लेकर निगम की सफाई के दावों पर भी सवालिया निशान लग रहा है। और इसी बिन्दु पर सीबीआई ने नगर निगम के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। सीबीआई की सिफारिश के बाद शहर की जनता के भी कई वर्गो ने नगर निगम के शीर्ष प्रबन्धन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने की मांग की है। इस कांड ने शहर की जनता को इस कदर हिला दिया है कि जनता अपना रोश प्रकट करने के लिये कैण्डल मार्च तक कर रही है।

लेकिन इस कांड का जो खुलासा अब तक सामने आया है इसके मुताबिक 14-6-2014 को शाम को युग का अपहरण होता है। 16 जून को इसकी एफआईआर दर्ज होती है। 22 जून को ही इस मासूम को टैंक में डूबो कर मार दिया जाता है। लेकिन इस अपहरण को लेकर फिरौती की पहली मांग ही 27 जून को आती है। उसके बाद फिरौती मांगने का सिलसिला चला रहता है। जब युग को 22 जून को ही पानी के टैंक में डूबो दिया गया था तो फिर उसको मारने के बाद फिरौती की मांग क्यों आती है? क्योंकि अगर फिरौती देना मान लिया जाता तो यह लोग युग को कहां से लाकर देते? पुलिस से यह मामला 14-8-2014 को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस दौरान केवल ठियोग का एक व्यक्ति फोन कॉल करके युग की सूचना देने के लिये 20 लाख की मांग करता है पुलिस इस कॉल को ट्रैक करके इस व्यक्ति को पकड़ लेती है, गहन पूछताछ करती है। लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिलता है और अदालत से इसे जमानत मिल जाती है। लेकिन जब तक यह मामला पुलिस के पास रहा इन तीनों अभियुक्तों की तरफ किसी का कोई शक तक नहीं गया। जनवरी 2015 में न्यू शिमला में मोबाइल और लेपटॉप चोरी का एक मामला घटता है। जिसकी 22 जनवरी 2015 को एफआईआर होती है। इस चोरी की जांच में पुलिस इन अभियुक्तों तक पहुंचती है। 26 मार्च को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 30 मार्च को इन्हे जमानत मिल जाती है। क्योंकि चोरी का सारा सामान इनसे बरामद हो जाता है। इस चोरी की घटना तक भी युग अपहरण हत्या के संद्धर्भ में यह कहीं शक के दायरे में नहीं आते हैं।

इसके दौरान पुलिस गुप्ता के परिजनों से पूछताछ करती है। लेकिन कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। अन्त में गुप्ता के नौकर का नार्को टैस्ट करवाया जाता है। उस नार्को में चन्द्र का नाम बार बार आता है यहां से चन्द्र शक के दायरे में आता है। चोरी कांड में उसके और उसके साथियों का पकड़ा जाना सामने आता है। चोरी की गिरफ्तारी के दौरान ली गयी जामा तलाशी में इनके मोबाईल बगैरा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लेती है और सीआईडी अदालत के माध्यम से इनके मोबाईल पुलिस से हासिल करती है। चन्द्र का मोबाईल गहनता से खंगाला जाता है उससे महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगते है और चन्द्र से कड़ी पूछताछ होती है और फिर पूरे प्रकरण की पर्तें खुलती चली जाती हैं और अन्त में ये तीनों आभियुक्त सीआईडी की गिरफ्त में आ जाते हैं।

लेकिन अभी भी इस मामले में ये बिन्दु स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब युग को 22 जून 2014 को ही पानी के टैंक में डुबो दिया था और इनकी ओर कोई शक तक नहीं था फिर उन्होने उसकी मौत के बाद फिरौती मांगने का सिलसिला क्यों शुरू किया? अभी तक सीआईडी के पास इनके अपने ब्यानों के अलावा और कोई ठोस सबूत नहीं है। कंकाल की फोरेंसिक जांच और डीएनए टैस्ट के परिणामों से ही इनके ब्यानों के माध्यम से सामने आये पूरे प्रकरण के खुलासे की प्रमाणिकता निर्भर करती है। क्योंकि सामान्यत: यह बात गले नही उतरती है कि कोई व्यक्ति अपहरित की हत्या कर देने के बाद भी फिरौती की मांग जारी रखेगा और इस मामले में तो पुलिस रिकार्ड के मुताबिक फिरौती की मांग ही हत्या के बाद आती है। यदि फिरौती की मांग न आती तो सम्भवत: इस कांड पर से पर्दा ही ना उठ पाता। तो ऐसे में जो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस अपहरण कांड के पीछे यही तीनों लोग थे या इनके पीछे भी कोई और था। सीआईडी को इस मामले को ठोस सजा तक पहुंचाने के लिए अभी ठोस प्रमाण जुटाने होंगे ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल पूरे प्रदेश की नजरें इस कांड पर लगी हुई हैं क्योंकि इसमें राजनीति का दखल भी सामने आ गया है।

क्या वक्कामुल्ला को कोठी मिलेगा

जिस वक्कामुल्ला से मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह की पत्नी ने वाकायदा अपने चुनाव शपथ पत्र में अपने और वीरभद्र सिंह के नाम तीन करोड़ नब्बे लाख का मुक्त ऋण लेना दिखाया है। वह वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर 17 मैगावाट के साई कोठी हाईडल परियोजना को हासिल करने के लिये अदालती लड़ाई लड़ रहा है। एक समय प्रदेश सरकार ने चम्बा की साई कोठी हाईडल परियोजना वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को आवंटित की थी लेकिन आवंटन के बाद वक्कामुल्ला इस परियोजना की अपफ्रन्ट प्रिमियम राशी जमा नहीं करवा पाया और न ही काम शुरू कर पाया। इस कारण सरकार ने यह आवंटन रद्द कर दिया।

जब यह आवंटन रद्द हुआ उसी दौरान वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर ने प्रतिभा सिंह और वीरभद्र को करीब चार करोड़ का मुक्त ऋण देकर सबको चौंका दिया। यही नही इसी वक्कामुल्ला ने वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य की कंपनी को भी करीब डेढ़ करोड़ का ऋण दिया है। वक्कामुल्ला की एक अन्य कंपनी से प्रतिभा सिंह, अपराजिता कुमारी और अमित पाल सिंह ने एक करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं। धूमल पुत्रों ने इस ऋण को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया था। आरोप लगा था कि यह सारा लेन देन इस प्रोजेक्ट की एवज में हुआ है। इसी परिदृश्य में वक्कामुल्ला ने साई कोठी प्रोजेक्ट के रद्द हुए आवंटन को पुन: बहाल करने की गुहार लगायी। यह गुहार मान ली गयी और आवंटन बहाल कर दिया गया। लेकिन इसमें अपफ्रन्ट प्रिमियम बढ़ाकर एक करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा कर दिया गया। लेकिन समय विस्तार हासिल करने के बावजूद भी वक्कामुल्ला यह राशी जमा नही करवा पाये। सरकार ने नवम्बर 2013 में फिर यह आवंटन रद्द कर दिया।

आवंटन रद्द किये जाने को वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। उसका एतराज है कि समय विस्तार देने के साथ अपफ्रन्ट प्रिमियम की राशी नही बढ़ायी जा सकती। सरकार अदालत में अपने स्टैण्ड पर कायम है। अब 22 अगस्त को यह मामला मुख्य न्यायधीश संजय अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक चौहान की खण्डपीठ में लगा था। वक्कामुल्ला ने इस पर बहस के लिये समय मांगा और अब 29.11.2016 को इसकी सुनवाई होगी। वक्कामुल्ला वीरभद्र परिवार को ऋण देने के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी की आशंका है कि यह मुक्त ऋण देने की बात केवल पेपर एंट्री है। अब वक्कामुल्ला को अपनी वित्तिय हैसियत प्रमाणित करने की चुनौती है और उस चुनौती में यह साई कोठी प्रोजेक्ट भी एक बड़ा सवाल बन कर रास्ते में खड़ा हो गया है।

विधानसभा का मानसून सत्र

राजनीतिक चरित्र की पराकाष्ठा रहा वीरभद्र का मुकरना,रवि का माफी मांगना और मीडिया की खामोशी

शिमला/शैल। विधानसभा का यह मानसून सत्र लोक जीवन के गिरते मानकों की एक ऐसी इबारत लिख गया है जो शायद कभी मिट न सके। लोक जीवन में लोक लाज एक बहुत बडा मानक होता है और सत्र में यह लोक लाज तार -तार होकर बिखर गयी । लेकिन इन मानको के वाहक लोक तन्त्र के सारे सतम्भ मूक होकर बैठे रहे। सत्र के पहले ही दिन जब सदन में मुख्य मन्त्री के उस वक्तव्य का मुद्दा आया जिसमें उन्होने कहा था कि भाजपा में एक दो को छोड़ कर कोई भी सदन में आने लायक नही है। यह वक्तव्य खूब छपा था लेकिन जब सदन में बात आयी तो छठी बार मुख्य मन्त्री बने वीरभद्र सिंह सिरे से ही मुकर गये और कहा कि उन्होनें ऐसा कोई वक्तव्य दिया ही नही है। उनके सज्ञान में तो यह बात आयी ही अब है। यदि अखबारों ने छापा है तो झूठ छापा है। जो कुछ छपता है उसे सूचना तन्त्र मुख्यमन्त्री के सामने रखता है गुप्तचर विभाग भी मुख्यमन्त्री के संज्ञान में ऐसी चीजे लाता है। लेकिन मुख्यमन्त्री का इस सबसे सिरे से ही इन्कार कर देना राजनीतिक, चरित्र को तो उजागर करता ही है। साथ ही पूरे तन्त्र की कार्यशैली ओर विश्वनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर जाता है। पहला दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।

सत्र के दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी की सीबीआई वीरभद्र के खिलाफ चार्ज शीट तैयार करके अदालत में दायर करने जा रही है। इस खबर पर भी सदन में चर्चा की बात आयी। वीरभद्र और कांग्रेस इस पर चर्चा के लिये तैयार नही थे। वीरभद्र ने उनके खिलाफ चल रही जांच को जेटली, अनुराग, अरूण और प्रेम कुमार धूमल का षड्यंत्र करार दिया। यहां तक कह दिया कि उनके खिलाफ साजिश करने वालों का मुंह काला होगा। वीरभद्र यहीं नही रूके और यह भी कह दिया कि ऐसी खबरें छापने वाले अखबारों का भी मुंह काला होगा। मुद्दा संवेदनशील था और मुख्यमन्त्री इससे बुरी तरह आहत भी है। अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे है। जैसे - जैसे वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच आगे बढ़ रही है उसका असर सरकार पर पड़ रहा है पूरा प्रशासन चरमरा गया है। निश्चित रूप से यह पूरा मुद्दा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसे आसानी से नजर अन्दाज करना संभव नही है केन्द्रिय वित्त मन्त्री और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री तथा उनके सांसद पुत्र पर इसमें षड्यंत्र रचने का आरोप लग रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर सदन के पटल से ज्यादा उपयुक्त मंच चर्चा के लिये और क्या हो सकता है। प्रदेश की जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है। इसके लिये सदन में भाजपा का इस पर चर्चा की मांग उठाना और सत्ता पक्ष के इससे इन्कार करने पर रोष और आक्रोश का उभरना स्वाभाविक था। इसी आक्रोश में रवि ने माईक पर हाथ दे मारा और इसी हंगामे में कार्यवाही समाप्त हो गयी।

तीसरे दिन सदन के शुरू होते ही पिछले दिन की घटना को लेकर रवि के खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से कारवाई की मांग उठी और स्पीकर ने रवि के निलंबन का आदेश पढ़ दिया। इस पर फिर हंगामा हुआ। दोनो ओर से पूरे प्रहार किये गये। थोडी देर के लिये सदन की कार्यवाही रोक कर इस मसले का हल निकालने का आग्रह आया। आग्रह स्वीकार हुआ कार्यवाही रोकी गयी। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई तो रवि के माफी मांगने से मामले का पटाक्षेप हो गया। राजनीतिक तौर पर भाजपा के हाथ से मुद्दा फिसल गया। यदि निलंबन जारी रहता तो भाजपा के पास पूरी स्थिति को जनता की अदालत में ले जाने का पूरा पूरा मौका था जो माफी मागने से निश्चित् रूप से कमजोर हुआ है। इसी के साथ जिस बिन्दु पर यह हंगामा आगे बढ़ा और जेटली -धूमल पर षड्यन्त्र रचने का आरोप लगा वह यथा स्थिति खड़ा रह गया।

चौथे दिन भी हंगामा रहा है सदन में आये सारे विधेयक बिना किसी बड़ी चर्चा के पारित हो गये। जिन मुद्दो पर जनता ने रोष व्यक्त किया हुआ था और शिमला नगर निगम जैसी चयनित संस्था ने रोष और सुझाव व्यक्त किये थे वह सब सदन में चर्चा का विषय ही नहीं बना। अपने लाभों सहित सब कुछ ध्वनि मत से पारित हो गया। इस पूरे परिदृश्य को यदि पूरी निष्पक्षता से आंका जाये तो राजनीतिक चरित्र का इससे बड़ा हल्कापन और कुछ नहीं हो सकता है। मीडिया को कोसने से सच्चाई पर ज्यादा देर तक पर्दा नही डाला जा सकता है लेकिन इसी के साथ मीडिया के लिये भी अपनी भूमिका पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता आ खडी होती है।